::आदेश::

कोरोनावायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टि्गत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक लॉक–डाउन सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्याः 217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में पारित इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 2106/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 22.03.2020 तथा आदेश संख्याः 2110/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 23.03.2020 में निम्नलिखित शर्ते शामिल करते हुए दिनांक 25.03.2020 के लिए निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैः–

1– अन्तर्राज्जीय सीमाओ के साथ–साथ अन्तर्जनपदीय सीमाओ को भी तत्काल प्रभाव से सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

2– मेडिकल की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी।

3– दिनांक 25.03.2020 को प्रस्तावित सत्र के दृष्टि्गत विधान सभा तथा सचिवालय के सम्बन्धित अधिकारियो /कर्मचारियो को वाहन के साथ अनुमति होगी, जो विधान सभा सत्र की अवधि के बाद निरस्त समझी जायेगी।

4– प्रातः 07 बजे से पूर्वान्ह 10 बजे तक बैंक, ए.टी.एम. तथा कोषागार आम जनता के लिए खुले रहेगे तथा 10 बजे से 12 बजे तक श्रम विभाग के अन्तर्गत पंजिकृत निर्माण श्रर्मिको को आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यो का संचालन किया जायेगा। बैंक/कोषागार कार्मिको को 12:30 बजे तक घर जाने की अनुमति अनुमन्य होगी।

5– टेलीफोन/दूरंसचार व पोस्टल, इंटरनेट सर्विस तथा केवल–ऑपरेटर के कार्यो हेतु छूट रहेगी।

6– खाद्य आपूर्ति व उसकी श्रृंखला प्रबन्धन से सम्बन्धित वाहनो को किसी भी चैक पोस्ट पर नही रोका जायेगा, जिसमें पशुओ हेतु खाद्य सामग्री भी सम्मिलित है।

7– उक्त निर्देशो का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

अतः पूर्व आदेश संख्याः क्रमशः 2106/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 22,मार्च,2020 तथा आदेश संख्याः 2110/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 23,मार्च,2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या :2117/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक : 24, मार्च, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही व अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– अपर मुख्य सचिव महोदय–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

3– सचिव महोदय, मा0 श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।

7– अपर जिलाधिकारी, (वि0/राज0)/प्रशासन, देहरादून।

8– सिटी मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद–देहरादून।

9– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

10–लीड बैंक अधिकारी, देहरादून।

11–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जनपद–देहरादून।

12–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

Scanned with CamScanner